

प्रेषक,

लीना जौहरी,  
सचिव एवं सहित आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

प्रतापगढ़, सहारनपुर, बहराइच, कानपुर नगर, ललितपुर, बांदा, बाराबंकी, खीरी, झांसी, मिर्जापुर,  
रामपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, हरदोई, इलाहाबाद, सोनभद्र, जौनपुर, सीतापुर, बुलन्दशहर, गाजीपुर,  
मुरादाबाद, आजमगढ़ एवं रायबरेली।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में दैवी आपदा मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 8,40,00,000/- (रूपये आठ करोड़ चालीस लाख मात्र) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रम संख्या | जनपद का नाम/पत्रांक व दिनांक          | प्रस्तावित धनराशि (रूपये में)                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | प्रतापगढ़,<br>संख्या-790/28.08.2015   | 25,00,000                                                                                                                                                                                             |
| 2           | सहारनपुर,<br>संख्या-1365/24.06.2015   | 45,00,000                                                                                                                                                                                             |
| 3           | बहराइच,<br>संख्या-2472/26.08.2015     | 25,00,000                                                                                                                                                                                             |
| 4           | कानपुर नगर,<br>संख्या-2301/20.08.2015 | 25,00,000                                                                                                                                                                                             |
| 5           | ललितपुर,<br>संख्या-4304/27.07.2015    | 25,00,000                                                                                                                                                                                             |
| 6           | बांदा,<br>संख्या-368/30.07.2015       | 30,00,000                                                                                                                                                                                             |
| 7           | बाराबंकी,<br>संख्या-1522/05.08.2015   | 55,00,000<br>(दैवी आपदा पटल पर आपदा सम्बन्धी सूचनाएं फीड कराने के लिये फंड को गारिश्मिक दिये जाने का राज्य आपदा मोचक निधि में प्राविधान नहीं है। अतः इस हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।) |

|    |                                      |                                                                   |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8  | खोरी,<br>संख्या-84/26.08.2015        | 1,30,00,000                                                       |
| 9  | झांसी,<br>संख्या-1706/11.08.2015     | 25,00,000                                                         |
| 10 | मिर्जापुर,<br>संख्या-1913/22.08.2015 | 50,00,000                                                         |
| 11 | रामपुर,<br>संख्या-90/17.08.2015      | 25,00,000                                                         |
| 12 | चित्रकूट,<br>संख्या-649/11.08.2015   | 25,00,000                                                         |
| 13 | अलीगढ़,<br>संख्या-621/10.08.2015     | 25,00,000                                                         |
| 14 | हरदोई,<br>संख्या-161/27.08.2015      | 35,00,000                                                         |
| 15 | इलाहाबाद,<br>संख्या-746/18.08.2015   | 60,00,000                                                         |
| 16 | सोनभद्र,<br>संख्या-687/17.08.2015    | 50,00,000                                                         |
| 17 | जौनपुर,<br>संख्या-338/21.08.2015     | 50,00,000                                                         |
| 18 | सीतापुर,<br>संख्या-13/05.08.2015     | 20,00,000                                                         |
| 19 | बुलन्दशहर,<br>संख्या-3507/20.07.2015 | दिनांक 20.07.2015 के क्रम<br>में धनराशि स्वीकृत की जा<br>चुकी है। |
| 20 | गाजीपुर,<br>संख्या-1939/26.08.2015   | 40,00,000                                                         |
| 21 | मुरादाबाद,<br>संख्या-469/26.08.2015  | 25,00,000                                                         |
| 22 | आजमगढ़,<br>संख्या-981/28.08.2015     | 25,00,000                                                         |
| 23 | रायबरेली,<br>संख्या-859/01.09.2015   | 25,00,000                                                         |
|    | कुल योग रू०                          | 8,40,00,000/-                                                     |
|    | (रूपये आठ करोड़ चालीस लाख मात्र)     |                                                                   |

- 2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजार्डर रेस्पॉन्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजार्डर रेस्पॉन्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेत्तर यह

सुनिश्चित किया जाय कि राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं- अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बाढ़, फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूजल, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि टी0आर0-27 से धनराशि आहरित की गयी है तो उसका समायोजन अवश्य कर लिया जाय।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹ 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा ₹ 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाये।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

- 10- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र मिलीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित पाठ संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।
- 11- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित करके शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जीहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:- 812 (1)/1 10-2015 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( मदन मोहन )

अनु सचिव ।